

No. 17433

**THAILAND
and
INDIA**

Agreement on the delimitation of seabed boundary between the two countries in the Andaman Sea (with chart and exchange of notes). Signed at New Delhi on 22 June 1978

*Authentic texts: Thai, Hindi and English.
Registered by Thailand on 8 January 1979.*

**THAÏLANDE
et
INDE**

Accord relatif à la délimitation des fonds marins entre les deux pays dans la mer d'Andaman (avec carte marine et échange de notes). Signé à New Delhi le 22 juin 1978

*Textes authentiques : thaï, hindi et anglais.
Enregistré par la Thaïlande le 8 janvier 1979.*

[THAI TEXT — TEXTE THAÏ]

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียนีเซีย
ว่าด้วยการแบ่งเขตคั่นทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียนีเซีย

ด้วยความปรารถนาที่จะกระชับสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง และ

ด้วยความปรารถนาที่จะสถาปนาเขตคั่นทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน และที่จะตกลงกันให้เป็นการถาวรเกี่ยวกับขอบเขตของบริเวณซึ่งรัฐบาลแต่ละฝ่ายจะใช้สิทธิอธิปไตย

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑

๑. เส้นเขตคั่นทะเลระหว่างประเทศไทยและอินเดียนีเซียในทะเลอันดามันประกอบด้วย เส้นตรงที่เชื่อมจากจุด ๑ และ ๒, ๒ และ ๓, ๓ และ ๔, ๔ และ ๕, ๕ และ ๖, และ ๖ และ ๗

๒. พิกัดของจุดเหล่านี้ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้

	<u>ละติจูด</u>		<u>ลองจิจูด</u>			
จุด ๑	๐๓°	๔๘' ๐๐"	เหนือ	๘๕°	๓๒' ๔๘"	ตะวันออก
จุด ๒	๐๓°	๕๗' ๓๐"	เหนือ	๘๕°	๔๑' ๔๘"	ตะวันออก
จุด ๓	๐๔°	๐๘' ๕๔"	เหนือ	๘๕°	๓๘' ๑๖"	ตะวันออก
จุด ๔	๐๔°	๑๓' ๔๗"	เหนือ	๘๕°	๓๘' ๑๑"	ตะวันออก
จุด ๕	๐๔°	๔๕' ๑๑"	เหนือ	๘๕°	๓๗' ๔๒"	ตะวันออก
จุด ๖	๐๔°	๔๘' ๐๘"	เหนือ	๘๕°	๓๗' ๔๐"	ตะวันออก
จุด ๗	๐๕°	๑๗' ๑๘"	เหนือ	๘๕°	๓๖' ๓๑"	ตะวันออก

ข้อ ๔

ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างรัฐบาททั้งสอง ที่เกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินการ ให้เป็นผลตามความตกลงนี้จะถูกระงับโดยสันติ โดยการปรึกษาหารือ หรือการเจรจา

ข้อ ๕

ความตกลงนี้จะได้รับการสัตยาบันตามกฎหมายแห่งตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่แลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน ซึ่งจะกระทำ ณ กรุงเทบ ฯ โดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนแต่ละฝ่าย ได้ลงนามความตกลงนี้

ทำคู่กันเป็นสองฉบับ ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ยี่สิบสอง เดือนมิถุนายน คริสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด เป็นภาษาไทย ภาษาฮินดู และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการขัดกันใด ๆ ระหว่างตัวบท ในถ้อยคำบทภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

สำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย


สำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย



(ดร. อูปคิตรี ปาจารย์การ)

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ



(นายอศัล บิฮารี วังเพอ)

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ

[HINDI TEXT — TEXTE HINDI]

थाईलैंड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच
अंडमान सागर में दोनों देशों के बीच समुद्रतल सीमा के
परिसीमन सम्बन्धी करार ।

थाईलैंड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार,

दोनों देशों के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की इच्छा से, और

अंडमान सागर में दोनों देशों के बीच समुद्रतल सीमा स्थापित करने और उन क्षेत्रों की सीमा स्थायी रूप से तय करने की इच्छा से, जिनमें दोनों देशों की सरकारें अपने अपने प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करेंगी,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद- 1
=====

1. अंडमान सागर में थाईलैंड और भारत के बीच की समुद्रतल सीमा प्वाइंट 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6 तथा 6 और 7 को जोड़ने वाली सीधी रेखायें हैं ।
2. इन प्वाइंटों के निर्देशांक नीचे दिये गये हैं :

	<u>अक्षांश</u>	<u>रेखांश</u>
प्वाइंट 1	07 ⁰ 48' 00'' उ०,	95 ⁰ 32' 48'' पू०
प्वाइंट 2	07 ⁰ 57' 30'' उ०,	95 ⁰ 41' 48'' पू०

प्वाइंट 3	08 ⁰	09' 54'' उ०,	95 ⁰	39'	16''	पू०
प्वाइंट 4	08 ⁰	13' 47'' उ०,	95 ⁰	39'	11''	पू०
प्वाइंट 5	08 ⁰	45' 11'' उ०,	95 ⁰	37'	42''	पू०
प्वाइंट 6	08 ⁰	48' 04'' उ०,	95 ⁰	37'	40''	पू०
प्वाइंट 7	09 ⁰	17' 18'' उ०,	95 ⁰	36'	31''	पू०

3. एक ओर थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया तथा दूसरी ओर थाईलैंड, भारत और बर्मा के बीच दोनों दिशाओं में त्रिसंगम बिंदुओं तक सीमा का विस्तार बाद में किया जायेगा ।

अनुच्छेद- 2
=====

1. अनुच्छेद 1 में बताये गये प्वाइंटों के निर्देशांक भौगोलिक निर्देशांक हैं और उनको जोड़ने वाली सीधी रेखाएँ इस करार से संलग्न अनुबंध 'क' के चार्ट में दिखाई गयी हैं ।
2. समुद्र में इन प्वाइंटों और इन्हें जोड़ने वाली रेखाओं का वास्तविक स्थान दोनों सरकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किसी परस्पर सहमत तरीके से तय किया जायेगा ।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के प्रयोजन के लिये 'सक्षम प्राधिकारी' शब्द से थाईलैंड किंगडम के लिये चाओक्रोम उथोखासात (जल-सर्वेक्षण विभाग के निदेशक) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति और भारत गणराज्य के लिये भारत सरकार के प्रमुख जल-सर्वेक्षक और उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत होगा ।

अनुच्छेद- 3 =====

थाईलैंड किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार इस करार द्वारा स्थापित सीमाओं के अन्दर अव-भूमि सहित समुद्रतल पर सम्बन्ध सरकारों के प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों को मान्यता देती है और उन्हें स्वीकार करती है ।

अनुच्छेद- 4 =====

यदि कोई भी भूतत्वीय पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैर संरचना अथवा क्षेत्र, अथवा किसी भी 'स्वरूप का अन्य खनिज निक्षेप अनुच्छेद । में ज्ञताई गई सीमा से बाहर चला जाता है तो दोनों सरकारें इस सम्बन्ध में एक दूसरी सरकार को सभस्त जानकारी देंगी और एक समझौते पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगी कि संरचना, क्षेत्र अथवा निक्षेप का सर्वाधिक प्रभावकारी उपयोग किस प्रकार किया जायेगा और इस प्रकार के उपयोग से होने वाले फायदों का किस प्रकार समान रूप से बँटवारा किया जायेगा ।

अनुच्छेद- 5 =====

इस करार के निर्वचन अथवा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच किसी भी विवाद को शान्तिपूर्ण ढंग से परामर्श अथवा बातचीत द्वारा तय किया जायेगा ।

अनुच्छेद- 6 =====

इस करार का अनुसमर्थन दोनों देशों की अपनी-अपनी संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जायेगा । यह करार अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू हो जायेगा । अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीघ्र बँगकाक में किया जायेगा ।

इसके साक्ष्य-स्वरूप, निम्नलिखित व्यक्तियों ने, जिन्हें इस कार्य के लिये अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया गया है, इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं ।


नई दिल्ली में, आज ईसवी सन् एक हजार नौ सौ अठहत्तर के जून मास के बाइसवें दिन थाई, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में, दो दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ । पाठ के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

थाईलैंड किंगडम की सरकार
की ओर से

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से



(उपादित पचारियान्गकुन)
विदेश मन्त्री



(अटल बिहारी वाजपेयी)
विदेश मन्त्री